<u>न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा</u>

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 52／2016 वाद

गोपाल लाल पिता मूलचन्द मेघवाल, आयु 45 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

／／बनाम／／

1. कन्हैयालाल पिता मूलचन्द मेघवाल, आयु 52 साल, निवासी मैलाना।
2. सोहनलाल पिता मूलचन्द मेघवाल, आयु 50 साल, निवासी मैलाना।
3. श्रीमती बदाम बाई पिता मूलचन्द पत्नी श्यामलाल मेघवाल, आयु 48 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. श्रीमती कमला बाई पत्नी मूलचन्द मेघवाल, आयु 70 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. बंशीलाल पिता केशुराम मेघवाल, आयु 65 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. श्रीमती छगनी पत्नी गंगाराम मेघवाल, आयु 45 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।
7. धनपाल पिता गंगाराम मेघवाल, आयु 28 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।
8. वेणीराम पिता केशूराम मेघवाल, आयु 53 साल, निवासी मैलाना।
9. किशन पिता केशूराम मेघवाल, आयु 50 साल, निवासी मैलाना।
10. राधेश्याम पिता केशूराम मेघवाल, आयु 45 साल, निवासी मैलाना।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>दावा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 रा.का.अधि,</u>

<u>श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता वादी, उपस्थित</u>

निर्णय दिनांक 08.02.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:20 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही मूल पुरूष कचरू जी मेघवाल की संताने हैं। पक्षकारान का सजरा निम्नानुसार है–

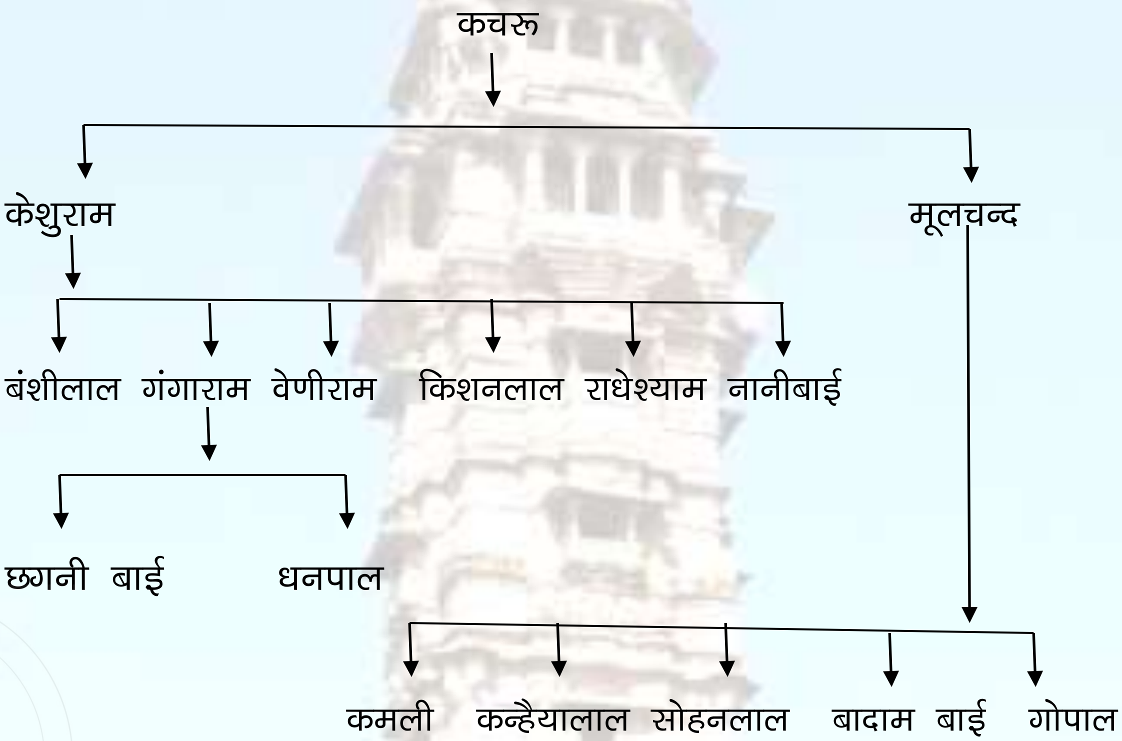

पक्षकारान के सजरे अनुसार कचरू के दो लड़के केशुराम व मूलचन्द हुए। कचरू की मृत्यु करीब 60-70 साल पूर्व हो चुकी है जिसके दो पुत्र केशुराम व मूलचन्द हुए जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। पूर्व में केशुराम व मूलचन्द शामिल रहते थे एवं परिवार के मुखिया कर्ता धर्ता केशूराम जी थे। विवादित आराजीयात शामलाती कब्जे काश्त की होकर दोनों भाईयों के मध्य अस्थाई विभाजन होकर शामलाती कब्जा चला आ रहा था। केशुराम व मूलचन्द के मरने के बाद उनके वारिस का शामलाती कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि मौजा मैलाना की आराजी नं. 1108/14, 1108/7 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 301 की आराजी नं. 1108/11, 1150/14 कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की होकर बडे भाई होने के नाते केशूराम के नाम दर्ज थी परन्तु कब्जा दोनों भाईयों का बराबर बराबर चला आ रहा है। इसी प्रकार मौजा मैलाना की ही आराजी नं. 1281, 1310, 1311, 1478 कुल किता 4 कुल रकबा 2.3600 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में कन्हैयालाल, सोहनलाल व वादी गोपाललाल व कमला बाई के खातेदारी में दर्ज है। इसके अलावा आराजी नं. 1476 रकबा 2.1600 हैक्टेयर कन्हैयालाल के नाम व आराजी नं. 1910 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि शामलाती कब्जे में है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित भूमि को लेकर पारिवारिक समझौता हो गया है व पारिवारिक समझौते के अनुसार आराजी नं. 1108/7, 1108/14 की कृषि भूमि प्रतिवादी बंशीलाल, वेणीराम, किशनलाल, राधेश्याम पिता केशुराम व छगनी पत्नी गंगाराम, धनपाल पिता गंगाराम के रखी गई और आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:20 IST
Reason: Attested

नं. 1108/11 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि मूलचन्द के हिस्से रखी गई व मूलचन्द के वारिसान के बाहमी बंटवारे अनुसार अकेले वादी के हिस्से में रखी गई है क्योंकि मूलचन्द की खातेदारी की जमीन उनके मरने के बाद में सरसी नामा बांध में डूब में चली गई थी जिसका मुआवजा अकेले प्रतिवादी संख्या 2 सोहनलाल ने उठाया था तथा प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल ने आराजी नं. 1476 जो मूलचन्द के जमाने में मूलचन्द जी ने खरीदी थी वह कन्हैयालाल जी के रही तथा आराजी नं. 1910 भी कन्हैयालाल के हिस्से में रही इसलिए आराजी नं. 1108/11 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा अकेले वादी के रही, इस बात की सहमति भी सभी ने समझौता पत्र दिनांक 12.06.2010 को निष्पादित कर स्वीकार की। इसी अनुसार बाहमी तौर पर बंटवारा कर प्रतिवादीगण को बंटवारा करने हेतु कहा तथा मौके पर आराजी नं. 1108/11 को बंटवारे की रूह में वादी के नाम दर्ज करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे हैं। इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपर्युक्तानुसार आराजी नं. 1108/11 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि मूलचन्द पिता कचरू के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की शामलाती घोषित की जावे। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में हुए बंटवारे को रिकग्नाईज करते हुए आराजी नं. 1108/11 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा वादी के हिस्से में रखी जावे तथा शेष आराजीयात का बंटवारा पूर्व में किये बंटवारे व कब्जे अनुसार किया जाकर लगान की फाटनी की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम मैलाना की खाता संख्या 43 प्रदर्श-1, खाता संख्या 334 प्रदर्श-2, खाता संख्या 575 प्रदर्श-3, खाता संख्या 48 प्रदर्श-4, ग्राम पंचायत मैलाना के प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रदर्श-5ए, छायाप्रति सहमति पत्र प्रदर्श-6ए व छायाप्रति पारिवारिक समझौता प्रदर्श-7ए प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वयं का तथा अर्जुन दास पिता भगवानदास बैरागी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये हैं।

हमने बहस पर मनन [illegible] ग्राम मैलाना के 4 खातों की वर्तमान रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिय[illegible] प्रस्[illegible] की है। मुख्य विवाद आराजी नं. 1108/11 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा [illegible] बताया गया है। परन्तु वादी द्वारा आराज नं. 1108/[illegible] के [illegible] कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ना ही साबिक रेकार्ड [illegible]तुत किया है और ना ही मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है। आराजीयात के पुश्तैनी होने के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार आराजीयात को पुश्तैनी साबित करने में वादी असफल रहा है। विवादित आराजीयात के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:20 IST
Reason: SelfAttested

सम्बन्ध में पूर्ण राजस्व रेकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। सहमतिपत्र व पारिवारिक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही उक्त दस्तावेजों को स्वतन्त्र गवाहों के माध्यम से साबित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में बिना दस्तावेज व निष्पक्ष साक्ष्य के वादी का दावा साबित नहीं होता है।

अतः वाद वादी साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 08.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:20 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 52/2016 वाद

गोपाल लाल पिता मूलचन्द मेघवाल, आयु 45 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।

— वादी

//बनाम//

1. कन्हैयालाल पिता मूलचन्द मेघवाल, आयु 52 साल, निवासी मैलाना।
2. सोहनलाल पिता मूलचन्द मेघवाल, आयु 50 साल, निवासी मैलाना।
3. श्रीमती बदाम बाई पिता मूलचन्द पत्नी श्यामलाल मेघवाल, आयु 48 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. श्रीमती कमला बाई पत्नी मूलचन्द मेघवाल, आयु 70 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. बंशीलाल पिता केशुराम मेघवाल, आयु 65 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. श्रीमती छगनी पत्नी गंगाराम मेघवाल, आयु 45 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।
7. धनपाल पिता गंगाराम मेघवाल, आयु 28 साल, निवासी मैलाना, तहसील निम्बाहेड़ा।
8. वेणीराम पिता केशूराम मेघवाल, आयु 53 साल, निवासी मैलाना।
9. किशन पिता केशूराम मेघवाल, आयु 50 साल, निवासी मैलाना।
10. राधेश्याम पिता केशूराम मेघवाल, आयु 45 साल, निवासी मैलाना।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

— प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 रा.का.अधि,

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वादी की ओर से [illegible] श्री अनुराग ओझा की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली [illegible] बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि [illegible] से खारीज किया जाता है।

यह आज तारीख 08.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:20 IST
Reason: SelfAttested